भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2652

मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में औद्योगिक विकास

2652. श्री अजय कुमार मंडलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कोई विशेष योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के दौरान बिहार में स्थापित प्रमुख उद्योगों और किए गए निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष पहल की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक कितने उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का बिहार में व्यापार करने में आसानी में सुधार, औद्योगिक गलियारों का विकास और रोजगार सृजन के लिए कोई नई योजना शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): उद्योग राज्य का विषय है। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित उद्योगों के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, केंद्र सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया,

पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) आदि जो देशभर में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना को सुगम बनाते हैं।

औद्योगिक विकास हेतु, बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 लागू की है, जिसके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25) के दौरान चरण-1 की मंजूरी और वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी प्रदान की गई हैं, जिनका विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

विशेष रूप से, एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (पीएमवी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यम पंजीकरण, प्रौद्योगिकी केंद्र एवं विस्तार केंद्र (टीसीईसी), और रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) सहित कई स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा दी गई स्कीम-वार निष्पादन जानकारी **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

केंद्र सरकार ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के अंतर्गत गया में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास को भी अनुमोदित किया है, जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) का एक हिस्सा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त, 2024 में इस परियोजना को अनुमोदित किया था, जिसका कुल परिव्यय 1339.02 करोड़ रुपए (भूमि लागत सहित) है।

ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इन पहलों का उद्देश्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास और व्यवसायों एवं नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करना और विनियमन की लागत का मापन सहित व्यावसायिक विनियमों को सरल और सुव्यवस्थित करना है। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के तहत, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नागरिकों और

व्यवसायों पर अनुपालन बोझ कम करने में सहायता की जाती है। इसका लक्ष्य चार प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाना है: प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कानूनों का युक्तिकरण, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और गौण अपराधों को गैर-अपराधीकृत करना। अनुपालन बोझ को कम करने के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई पर नज़र रखने के लिए विनियामक अनुपालन (आरसी) पोर्टल तैयार किया गया है।

*****

<u>अनुबंध-क</u>

दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2652 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2022-23 में, औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 के अंतर्गत कुल 415 इकाइयों को 8417.25 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से चरण-1 की मंजूरी प्रदान की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त, 2076.08 करोड़ रुपए के निवेश से 143 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी प्रदान की गई है और 1250.90 करोड़ रुपए के निवेश से 83 इकाइयां प्रचालन में आई हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में, औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 के अंतर्गत कुल 539 इकाइयों को 5642.57 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से चरण-1 की मंजूरी प्रदान की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त, 2915.65 करोड़ रुपए के निवेश से 215 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी प्रदान की गई है और 2522.79 करोड़ रुपए के निवेश से 194 इकाइयां प्रचालन में आई हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 के अंतर्गत कुल 416 इकाइयों को 34455.14 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से चरण-1 की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, 2738.12 करोड़ रुपए के निवेश से 242 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी प्रदान की गई है और 3523.08 करोड़ रुपए के निवेश से 237 इकाइयां प्रचालन में आई हैं।

*****

<u>अनुबंध-ख</u>

दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2652 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्कीम-वार प्रदर्शन निम्नानुसार है:		
स्कीम	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
पीएमजीईपी	संस्वीकृत ऋण- 7722, संवितरित- 5015	संस्वीकृत ऋण-32, संवितरित- 1209
पीएमवी	संस्वीकृत ऋण- 17799, संवितरित- 13839	
एमएसई-सीडीपी	वित्त वर्ष 2024-25 में, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 35.49 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से चार प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।	
उद्यम पंजीकरण	इस पोर्टल पर कुल 16 लाख एमएसएमई पंजीकृत हैं।	
टीसीईसी	एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गया में एक प्रौद्योगिकी केंद्र और छह विस्तार केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से एक-एक मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, पूर्णिया, राजगीर और रोहतास में स्थापित किया जाएगा।	
आरएएमपी	भारत सरकार द्वारा 135 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और मंजूर निधि का 40% जारी किया गया है।	

*****